राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 162

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 162

1. सुल्तानसिंह पुत्र स्व. श्री हरीदान जाति चारण निवासी गैरसर तहसील व जिला बीकानेर

वादी

बनाम

1. मंगलदान पुत्र स्व. गोमन्ददान जाति चारण निवासी गैरसर तहसील व जिला बीकानेर।

2. अनोप कंवर बेवा 3. भंवरदान पुत्र 4. भानीदान पुत्र 5. नैनू कंवर पुत्री निवासी गैरसर 6. सज्जन कंवर पुत्री 7. कैलाश कंवर पुत्री 8. शशि कंवर पुत्री 9. केशर कंवर पुत्री	स्व. पीरदान पुत्र गोमन्ददान जाति चारण तहसील व जिला बीकानेर।
10. किरण कंवर पुत्री	
11. दुर्गा बेवा 12. बच्चनसिंह पुत्र 13. शक्तिसिंह पुत्र 14. हंवा कंवर पुत्री 15. पुष्पा कंवर पुत्री 16. कमला कंवर पुत्री	स्व. सूरजमल उर्फ सुखदान उर्फ मालदान पुत्र भगवन्त दान जाति चारण निवासी गैरसर तहसील व जिला बीकानेर।
17. रूपा कंवर पुत्री	
18. उच्छब कंवर बेवा 19. विजय सिंह पुत्र निवासी गैरसर 20. संजय सिंह पुत्र	स्व. दुर्जनसिंह पुत्र हरीदान जाति चारण तहसील व जिला बीकानेर
21. पिंकी कंवर पुत्री	
22. विशालसिंह पुत्र 23. गोकलदान पुत्र 24. दीपदान पुत्र 25. दरिया कंवर पुत्री	हरीदान जाति चारण निवासी गैरसर तहसील व जिला बीकानेर

1

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83/2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022/162

26. मुरारदान } पुत्रगण जोरदान जाति चारण निवासी गैरसर
27. सुखदान } तहसील व जिला बीकानेर।
28. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकः

1. श्री सत्यपालसिंह शेखावत, वादी के लिए।
2. श्री लक्ष्मणदान बीठू, प्रतिवादी संख्या 1 ता 20, 22 ता 25 के लिए।
3. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20/05/24

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से उनके अभिभाषक श्री सत्यपालसिंह शेखावत ने दावा इस आशय का पेश किया कि ग्राम गैरसर रोही स्थित खेत खसरा नम्बर पुराना क्रमशः 26, 29, 62, 73 तादादी क्रमशः 61 बीघा 17 बिस्वा, 22 बीघा 17 बिस्वा, 79 बीघा 9 बिस्वा, 48 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल तादादी 212 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के मुरिस हरीदान, प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मुरिस गोमन्ददान, प्रतिवादी संख्या 11 ता 17 के मुरिस सूरजमल उर्फ सुखदान उर्फ मालदान के बहिस्सा बराबर हकुक खातेदारी में रही है। ग्राम गैरसर रोही स्थित खसरा नम्बर पुराना 120 तादादी 57 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के मुरिसान (गोमन्ददान, हरीदान, सूरजमल पुत्रगण भगवन्तदान) संयुक्त 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 26, 27 के 1/4–1/4 हिस्सा के हकुक खातेदारी में रही है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टर कायम हुवे। वादगत कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 55, 61, 132, 163, 491/60, 568/162, 162 कुल किता 7 तादादी क्रमशः 15.65, 5.13, 20.09, 6.41, 0.65, 1.35, 4.55 कुल तादादी 53.83 हैक्टेयर कायम हुवे। वादी, प्रतिवादीगण 1 ता 25 के मुरिसान के

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

पैरा संख्या 1 में वर्णित कुल 212 बीघा 16 बिस्वा व पैरा संख्या 2 के खसरा नम्बर 120 तादादी 57 बीघा 6 बिस्वा में से संयुक्त 1/2 हिस्सा अर्थात 28 बीघा 11 बिस्वा इस प्रकार कुल 241 बीघा 7 बिस्वा भूमि के घरू, बाहमी बंटवारे स्वरूप वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के मुरिस हरीदान के हिस्सा में पैरा संख्या 1 के खसरा नम्बर 29 तादादी 22 बीघा 17 बिस्वा(नवीन खसरा संख्या 61 तादादी 5.13 हैक्टेयर), खसरा नम्बर 73 तादादी 48 बीघा 13 बिस्वा में से 30 बीघा 13 बिस्वा(नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 163, 491/60, 568/162 तादादी क्रमशः 6.41, 0.65, 1.35 हैक्टर) कुल तादादी 53 बीघा 10 बिस्वा व पैरा संख्या 2 के खसरा नम्बर 120 में 57 बीघा 6 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टर) में से 1/2 हिस्सा अर्थात 28 बीघा 11 बिस्वा इस प्रकार कुल तादादी 82 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई जिस पर वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 अपने मुरिस हरीदान के साथ व हरीदान की मृत्यु पश्चात वादी, प्रतिवादी 18 ता 25 बदस्तुर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मुरिस गोमन्ददान को पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 26 तादादी 61 बीघा 17 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 55 तादादी 15.65 हैक्टर) व खसरा नम्बर 73 तादादी 48 बीघा 13 बिस्वा में से 18 बीघा (नवीन खसरा नम्बर 162 तादादी 4.40 हैक्टर जो विक्रित हो चुका है) कुल 79 बीघा 17 बिस्वा एवं प्रतिवादी संख्या 11ता17 के मुरिस सूरजमल उर्फ सुखदान उर्फ मालदान को पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर 62 तादादी 79 बीघा 9 बिस्वा(नवीन खसरा नम्बर 132 तादादी 20.09 हैक्टर) बाहमी बंटवारा में रही एवं उसी अनुरूप प्रतिवादीगण 1 ता 17 के मुरिस व उनकी मृत्यु पश्चात प्रतिवादी 1 ता 17 मौके पर निरन्तर काबिज है। पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर 120 तादादी 57 बीघा 6 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टर) कृषि भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के मुरिसान गोमन्ददान, हरीदान, सूरजमल पिसरान भगवन्तदान के संयुक्त 1/2 हिस्सा तादादी 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के मुरिस हरीदान के बाहमी बंटवारा में रही होने के

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83/2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022/162

बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मुरिस गोमन्ददान का 1/6 हिस्सा व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के मुरिस पीरदान पुत्र गोमन्ददान का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 17 के मुरिस सुखदान उर्फ सूरजमल उर्फ मालदान के 1/6 हिस्सा अंकन शुरू से गलत, विधि विरूद्ध, गैर कानूनी, प्रभाव शुन्य होने से वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के अधिकारों पर बेअसर है। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर 120 तादादी 57 बीघा 6 बिस्वा (नवीन खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टेयर) कृषि भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के मुरिसान गोमन्ददान, हरीदान, सूरजमल पिसरान भगवन्तदान के संयुक्त 1/2 हिस्सा तादादी 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 18ता25 के मुरिस हरीदान के बाहमी बंटवारा में रही होने, व निरन्तर आज दिनांक तक वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के बदस्तुर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में होने से कानूनन प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मुरिस गोमन्ददान का 1/6 हिस्सा व उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के मुरिस पीरदान का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी 11 ता 17 के मुरिस सुखदान उर्फ सूरजमल उर्फ मालदान के 1/6 हिस्सा का अंकन शुरू से अवैध, गलत, गैर कानूनी, प्रभाव शून्य होने से जरिये घोषणा, दुरस्ती, बंटवारा दूरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी, प्रतिवादी 18 ता 25 के 1/2 हिस्सा अंकन किया जावे। तथा चिर निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के 1/2 हिस्से में दखलअंदाजी बेजा ना करे, नाही ही हस्तान्तरित करें ना ही बैकब्जा करें ना ही किसी अन्य को ऐसा करने को उकसावें।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 162

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को बअखज तलबाना जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री लक्षमणदान बीठू अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20, 22 ता 25 की ओर से इकबाल जवाब दावा पेश कर वाद–पत्र के अनुतोष को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 21 के विरूद्ध कोई अनुतोष वादीगण द्वारा नहीं चाहा गया है, इस आशय का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। चूकिं प्रतिवादीनी संख्या 21 एवं वादी के अनुतोष समान है तथा उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 21 के हक व हिस्सा संरक्षित रखते हुए कार्यवाही एकपक्षीय की जाती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वादी की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक श्री सत्यपाल सिंह शेखावत द्वारा बहस में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वांछित अनुतोष वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाहमी बंटवारे के आधार पर है, जिसके बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश कर वाद–पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर अनुतोष अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे। अभिभाषक प्रतिवादीगण इकबाल जवाब दावा के अतिरिक्त कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किये जाने पर सहमति प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम गैरसर रोही स्थित खेत खसरा नम्बर पुराना क्रमशः 26, 29, 62, 73 तादादी क्रमशः 61 बीघा 17 बिस्वा, 22 बीघा 17 बिस्वा, 79 बीघा 9 बिस्वा, 48 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल तादादी 212 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 के मुरिस हरीदान, प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

1 ता 10 के मुरिस गोमन्ददान, प्रतिवादी संख्या 11 ता 17 के मुरिस सूरजमल उर्फ सुखदान उर्फ मालदान के बहिस्सा बराबर हकुक खातेदारी में रही है।

वादगत कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 55, 61, 132, 163, 491 / 60, 568 / 162, 162 कुल किता 7 तादादी क्रमशः 15. 65, 5.13, 20.09, 6.41, 0.65, 1.35, 4.55 कुल तादादी 53.83 हैक्टेयर कायम हुवे जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के संदर्भ में कोई अनुतोष उक्त वाद में नहीं चाहा गया है।

इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम गैरसर रोही स्थित खसरा नम्बर पुराना 120 तादादी 57 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 की संयुक्त 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 26, 27 के 1 / 4–1 / 4 हिस्सा के हकुक खातेदारी में रही है। जिसके नवीन खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टर कायम हुवे। उक्त भूमि वाहमी बंटवारे में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 25 को प्राप्त हुई। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रकट की गयी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर उनके मध्य वाहमी बंटवारा अनुसार हिस्सा निर्धारण किये जाने के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष कोई विधिक अवरोध प्रकट नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपति है, जिसमें वाहमी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गैरसर के खसरा नम्बर 385 तादादी 14.49 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 25 का 1 / 2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 26 का

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद–पत्र संख्याः 83 / 2022
आर.सी.एम.एस. नं.:– 2022 / 162

1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 27 का 1/4 हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदाजी ना करें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर